कार्यालय– स्पेशल टास्क फोर्स, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक–समनि–मुख्या/एसटीएफ/प्रशासन/ /2015 दिनांक : / /2015

विषय :– वाहन किराये पर लेने के संबंध में कोटेशन प्रदाय करने हेतु दिशा निर्देश।

----0000----

मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा गठित विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) के मान0 अध्यक्ष सदस्य एवं कार्यालय के लिए निम्नानुसार वाहन मासिक दर पर किराये पर से लिया जाना हैं :–

1. इनोवा – 2
2. रूपये सात लाख पचास हजार एक्स शोरूम कीमत का वाहन – 1
   (टाटा विस्टा,टाटा इण्डिगो ईसीएस, टाटा बोल्ट, स्विफ्ट डीजायर, स्विफ्ट, फियेट पुन्टो,रेनाल्ट पल्स, हुन्डई ईलाईट आई–20, हुन्डई ग्रान्ट, सेवरलेट सेल, टाटा जेस्ट, टोयोटो ईटियस–लिवा निशान माइका, हुण्डई एक्सेन्ट, महिन्द्रा बोलेरो, महिन्द्राबेरीटो) में से कोई एक
3. रूपये पाच लाख पचास हजार एक्स शोरूम कीमत का वाहन – 1
   (इण्डिका, इंडिगो)

उपरोक्तानुसार वाहन प्रदाय करने हेतु निम्न मापदण्डो के अनुरूप कोटेशन दिनांक 16/3/2015 तक बन्द लिफाफे में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

1. वाहन 1000किमी. प्रतिमाह मय डीजल के लिया जाना है 1000किमी. में भोपाल लोकल एवं मुख्यालय से बाहर की यात्रा भी शामिल होगी।
2. माह के लिए निर्धारित किमी0 1000/–से अधिक चलने पर किस दर से किराया लिया जायेगा।
3. विशेष परिस्थिति में अवश्याकता पडने पर रात्रिकालीन प्रभार क्या होगा।
4. वाहन कार्य समय 12 घंटे होगा जो समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 12 घंटे से अधिक रूकने पर (डीजल सहित एवं बिना डीजल) प्रति घन्टा चार्ज क्या होगा।
5. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन वाणिज्यिक परिवहन यान के रूप में दर्ज होने चाहिये तथा ट्रेवलिंग एजेन्सी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी(आर.टी.ओ.) कार्यालय भोपाल में पंजीयन होना आवश्यक है।
6. वाहनों की स्थिति व रख–रखाव उत्तम श्रेणी का हो, आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय ध्वज/डेंजर लाईट/सीट कवर आदि प्रदाय करना होगें।
7. वाहन चालक स्वच्छ वर्दी में हो। वाहन चालक अपराधिक चरित्र का व्यक्ति न हो। उसके पास कमर्शियल वाहन चालक का लायसेन्स हो।

8. किराये की अवधि में वाहन के सम्पूर्ण संधारण के व्यय का वहन प्रदाता को करना होगा।
9. किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन नये अथवा कोटेशन प्राप्त होने की दिनांक की स्थिति में दो वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
10. किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का पूर्ण विवरण(वाहन का प्रकार, मेक, मॉडल) का प्रमाण पत्र संलग्न करे।
11. वाहन का प्रदूषण एवं फिटनेस प्रमाण पत्र क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से प्राप्त कर वाहन उपलब्ध कराते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. कोटेशन में ट्रेवल ऐजेन्सी के मालिक का पूर्ण नाम, पता व सम्पर्क नम्बर आदि उपलब्ध कराये ताकि आवश्यकतानुसार पत्राचार कि जा सके।
13. वाहन प्रदाता को वाहन के काम्प्रीहेन्सिव, बीमा, रजिस्ट्रेशन इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन मे रखने होगें। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन प्रदाता उसके लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा। वाहन का Comprehensive Insurance अद्यतन रखना आवश्यक होगा।
14. वाहन में हुई किसी तकनीकी खराबी होने के कारण यदि आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग करने में बाधा आती है तो वाहन प्रदाता को अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगा।
15. मार्ग में वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन के खराब होने के स्थान से गैरेज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा।
16. वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक द्वारा दूसरा वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में जितने दिन वाहन कार्यशील नहीं होगा उक्त अवधि के किराये का भुगतान नहीं किया जाएगा।
17. वाहन का निर्धारित किरायें का भुगतान बजट उपलब्ध होने पर प्रतिमाह किया जाएगा। ''वाहन किराया मद में बजट'' उपलब्ध न होने की दशा में पु.मु. से बजट प्राप्त होने पर ही किराये का भुगतान किया जा सकेगा।

हस्ता/–
(संजय तिवारी)
सहायक पुलिस महानिरीक्षक(मुख्या.)
एस.टी.एफ. मध्यप्रदेश भोपाल
आफिस फोन/फैक्स नं. 0755–2579785
E-Mail ID :aigstfbpl@mppolice.gov.in
&aigstfbpl@gmail.com
&bplstf@gmail.com